

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

सेवानिवृत्ति आदेश

निम्नलिखित प्राध्यापक को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सत्यनारायण न्याती सीबीईओ केकडी अजमेर	भूगोल	01.06.59	31.05.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक)

02सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)


03सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है
का 50 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अन्तिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करे।

04सम्बन्धित कार्मिक

05अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा

06निजी एवं रक्षित पत्रावली।

दिनांक 29/04/19


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री शफीक अहमद, प्राध्यापक (उर्दू) राउमावि करमोदा, सवाईमाधोपुर जिनकी जन्मतिथि 16.06.1961 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

श्री शफीक अहमद, प्राध्यापक (उर्दू) राउमावि करमोदा, सवाईमाधोपुर द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री शफीक अहमद, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विधाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्वै0सेवा निवृ0/2012/

दिनांक:- 29/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
3. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करे।
4. संबंधित प्राध्यापक श्री शफीक अहमद, प्राध्यापक (उर्दू) राउमावि करमोदा, सवाईमाधोपुर
5. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर